



CCL

Fuelling Sustainable Growth

CENTRAL COALFIELDS LTD.

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम / कोल इंडिया लि. की एक अनुषंगी कंपनी)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, राँची 834 001 (झारखण्ड)

CIN : U10200JH1956GOI000581

परियोजना पदाधिकारी कार्यालय, मगध-परियोजना मगध-संघमित्रा क्षेत्र
अवंतिका, गांव-कुंडी, पो.- सराधु, जिला:- चतरा, झारखण्ड-825321

e-mail: pomagadhms@gmail.com

Website: www.centralcoalfields.in

Ref. No.: PO(M)/PD/E&F/EDS/2024-25/2687

Date: 30/09/2024

To

The Divisional Forest Officer

Chatra South Forest Division

Chatra

Sub: -Reply of EDS raised vide letter no 461 dated 21.09.2024 in respect of forest diversion application of Magadh Railway Siding (121.29 Ha).

Ref No: -File No: - FP/JH/Rail/47332 /2020

Respected Sir,

Please find reply of EDS raised vide letter no 461 dated 21.09.2024 in respect of forest diversion application of Magadh Railway Siding (121.29 Ha).

Sl No	EDS raised vide letter no 461 dated 21.09.2024	Reply
1.	प्रस्ताव में संलग्न ऑनलाईन पार्ट-2 में वन प्रमंडल पदाधिकारी का नाम, पदनाम, एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।	वन प्रमंडल पदाधिकारी चतरा साउथ द्वारा अनुपालन किया जाना है।
2.	प्रस्ताव में संलग्न पार्ट-2 की कंडिका II(c) में Area of forest land involved in violation (in ha): 0.25 है जिसमें Designation & Address of person responsible for violation में Darbhanga House CCL Ranchi अंकित किया गया है जबकि मगध ओ०सी०पी० का Controlling Office Project Office Magadh, Kundi, Tandwa, Chatra, Jharkhand है। इस प्रकार Office Name Change करने की आवश्यकता है।	वन प्रमंडल पदाधिकारी चतरा साउथ द्वारा अनुपालन किया जाना है।
3.	ऑनलाईन पार्ट-2 की कंडिका 14 में CA हेतु भरी गई डाटा में Non forest land (in ha) में 0 अंकित है जबकि मैनुअल पार्ट-2 में CA हेतु Non forest land (in ha) में 53.79 अंकित है इसे स्पष्ट किया जाय।	वन प्रमंडल पदाधिकारी चतरा साउथ द्वारा अनुपालन किया जाना है।
4.	प्रस्ताव में संलग्न आपके द्वारा Violation in Magadh Railway Siding (Chatra Part) के कॉलम में NFL (in ha) में Actual Area 17.01 and Area under violation में 0.25 अंकित है तथा GMJJ (in ha.) में Actual Area 0.00 ha. and Area under violation में 0.00 हे० अंकित है तो फिर Total Area (NF+GMJJ) 17.01 किस आधार पर अंकित किया गया है, स्पष्ट करें। साथ ही Total Violation (NF+GMJJ) 0.25 Ha. अंकित किया हुआ है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि 0.25 हे० रकबा 17.01 हे० में ही सन्निहित है या इसके अलावे 0.25 हे० GMJJ का रकबा है, इसे भी स्पष्ट किया जाय।	वन प्रमंडल पदाधिकारी चतरा साउथ द्वारा अनुपालन किया जाना है।


 30-09-24
SADALA SATYANARAYAN
 PROJECT OFFICER
 MAGADH OCP

5.	प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दसवर्षीय प्राक्कलन 352.38 की मजदूरी दर से तैयार किया हुआ है जबकि यह मजदूरी दर कभी रहा ही नहीं है। अभी वर्तमान में 12.09.2024 से 405 रु० के मजदूरी दर निर्धारित है तथा इसके पूर्व 386.01 रु० की मजदूरी दर था। संशोधित दसवर्षीय प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।	वन प्रमंडल पदाधिकारी चतरा साउथ द्वारा अनुपालन किया जाना है।
6.	ऑनलाईन पार्ट-1 की कंडिका B-2.4 component wise break-up में Safety zone के लिए 1.14 हे० forest land लिया गया है जबकि विषयगत प्रस्ताव रेलवे साइडिंग का है तो Safety zone की क्या आवश्यकता है, स्पष्ट करें। साथ ही 115 हे० others के लिए forest land लिया गया है जो नियम संगत उचित नहीं है। अन्य कार्य हेतु इतने बड़े वनभूमि को उपयोग हेतु देने का कोई प्रावधान नहीं है, इसे भी स्पष्ट किया जाय।	सीसीएल के सक्षम प्राधिकारी के साथ चर्चा के बाद यह निर्देश प्राप्त हुआ है, कि सुरक्षा क्षेत्र घटक जो 1.14 हेक्टेयर था (जो पहले बेल्ट कन्वेयर के साथ लिया गया था) कन्वेयर बेल्ट और उसके निरीक्षण स्थल के निर्माण के लिए आवश्यक है चतरा दक्षिण प्रभाग में पड़ने वाले वन विपथन के लिए प्रस्तावित कुल परियोजना क्षेत्र 17.01 हेक्टेयर है। और चतरा जिले में कुल परियोजना क्षेत्र भी 17.01 हेक्टेयर है। यह भूमि रेलवे लाइन और उसके तटबंध (जो रेलवे लाइन का अभिन्न अंग है) के निर्माण के लिए प्रस्तावित की गई है। तदनुसार भूमि उपयोग योजना और उसके ब्रेकअप को सुधारा गया है और अपलोड किया गया है (जैसा कि नीचे दर्शाया गया है)।

Area Bifurcation of Land use (in Ha)									
Sl No	Component Name	Latehar Division				Chatra Division			
		Notified Forest	GM JJ	Non Forest	Total	Notified Forest	GM JJ	Non Forest	Total
1	Bridge & Culvert	0.24	0.31	0.46	1.01	0	0	0	0
2	Conveyor, Silo, e.t.c.	2.05	0.23	11.12	13.4	0	0	0	0
3	Road	1.32	2.14	2.35	5.81	0	0	0	0
4	Railway line & its embankment	67.56	30.43	33.33	131.32	17.01	0	0	17.01
5	CHP & Ground Bunker	0	0	82.96	82.96	0	0	0	0
Total		71.17	33.11	130.22	234.5	17.01	0	0	17.01
Total Area = (234.50+17.01) = 251.51 Ha									

7.	प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दिखाये गये कैडस्ट्रल मैप पर ट्रेंच की लम्बाई अंकित नहीं है तथा कुल रकवा 78.117 हे० तथा शुद्ध रकवा 70.00 हे० अंकित है जबकि क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दसवर्षीय प्राक्कलन एवं डी०जी०पी०एस० मैप में शुद्ध रकवा 35.29 हे० अंकित है, दोनों में विरोधाभासी है, इसे स्पष्ट किया जाय।	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दिखाये गये कैडस्ट्रल मैप को सही कर अपलोड कर दिया गया है। ट्रेंच की लम्बाई = 211.74 चैन कुल रकवा = 78.117 हे०.
----	--	---


 30-09-24
SADALA SATYANARAYAN
 PROJECT OFFICER
 MAGADH OCR

		शुद्ध रकवा = 35.29 हे०.
8.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 830 दिनांक 19.07.2021 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित भूमि विवरण जिसे संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है की हस्ताक्षरित प्रति Additional document के रूप में ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है जो नहीं किया गया है। इसे अपलोड किया जाय।	वन प्रमंडल पदाधिकारी चतरा साउथ द्वारा सत्यापित भूमि विवरण संलग्न और अपलोड किया जा रहा है।
9.	ऑनलाईन पार्ट-2 की हस्ताक्षरित प्रति ऑनलाईन पार्ट-2 के Additional information में अपलोड करना अनिवार्य है जो नहीं है। इसे अपलोड किया जाय।	वन प्रमंडल पदाधिकारी चतरा साउथ द्वारा अनुपालन किया जाना है।

This is for your kind perusal and further necessary action please.

Thanking you in anticipation

Yours Faithfully


30.07.2024

Project officer
Magadh OCP

ADALA SATYANARAYAN
PROJECT OFFICER
MAGADH OCP